

बिहार विधान परिषद् सचिवालय

आवश्यक दिशा-निर्देश

विज्ञापन सं.-08/2019

[कार्यालय परिचारी(सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी(फरास), कार्यालय परिचारी(रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी(दरबान) एवं कार्यालय परिचारी(माली) के पदों पर सीधी भर्ती हेतु]

1. बिहार विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत कार्यालय परिचारी(सफाईकर्मी), कार्यालय परिचारी(फरास), कार्यालय परिचारी(रात्रि प्रहरी), कार्यालय परिचारी(दरबान) एवं कार्यालय परिचारी(माली) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु दिनांक 09.12.2020 से बिहार विधान परिषद् भवन में साक्षात्कार आयोजित है।
2. ऑनलाईन स्लॉट बुकिंग की सफल प्रक्रिया के उपरान्त अभ्यर्थियों ने अपना प्रवेश-पत्र (Admit Card) डाउनलोड किया है।

अभ्यर्थियों को डाक से (by Post) प्रवेश-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा।

3. बिना मास्क के किसी को भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। कोविड-19 प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य है, सभी अभ्यर्थियों को इस प्रक्रिया के द्वारा ही साक्षात्कार में सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
4. परीक्षार्थी साक्षात्कार हेतु अपने क्रमांक के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर बिहार विधान परिषद् विस्तारित भवन में साक्षात्कार स्थल तक पहुंचने के लिए शहीद स्मारक के सामने बिहार विधान मंडल के मुख्य द्वार सं.-10 से प्रवेश करेंगे और अन्दर बड़े मैदान में रिपोर्ट करेंगे। निर्देश प्राप्त होने पर SBI ATM के नजदीक गेट सं.-09 से प्रवेश कर परिषद् विस्तारित भवन में साक्षात्कार हेतु प्रवेश करेंगे। साक्षात्कार के पश्चात् परीक्षार्थी पोस्ट ऑफिस गेट से बाहर जायेंगे।
5. आवेदक प्रवेश-पत्र के साथ निम्नांकित कागजात की मूल प्रति एवं एक स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ उपस्थित होंगे –
 - (क) आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति
 - (ख) वर्तमान में मान्य फोटो पहचान-पत्र यथा आधार कार्ड/वोटर आई.डी. कार्ड/ ड्राईविंग लाईसेंस/ पैन कार्ड/ सरकारी कार्यालय या विभाग द्वारा निर्गत पहचान पत्र ।
6. भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ हेतु परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र की अतिरिक्त प्रति अलग से अपने पास रखेंगे। परीक्षा की समाप्ति के पश्चात प्रवेश-पत्र परीक्षार्थियों से जमा करा दिया जाएगा।
7. परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र पर अंकित सभी अनुदेशों का अवश्य अध्ययन करेंगे और उसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।
8. परीक्षार्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र (मतदाता पहचान-पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई-आधार (क्लर प्रिंट) आदि के साथ उपस्थित होंगे।
9. प्रवेश-पत्र एवं पहचान-पत्र (मूल प्रति में) के बिना परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। पहचान-पत्र की छायाप्रति मान्य नहीं होगी।
10. परीक्षार्थी परीक्षा के निर्धारित समय से 60 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचेंगे। परीक्षार्थी प्रवेश-पत्र में दिए गए समय का निश्चित रूप से अनुपालन करेंगे। परीक्षा केन्द्र के गेट बंद होने की निर्धारित समय सीमा के बाद परीक्षार्थी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
11. परीक्षा केन्द्र में घड़ियां, पुस्तकें, कागज के टुकड़े, पत्रिकाएं, लॉग टेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स तथा मोबाईल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, पेन- बटन होल कैमरा, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइस, डिजिटल डायरी, प्रतिबंधित दवाएं आदि लाना सख्त वर्जित है। यदि ऐसी कोई सामग्री अभ्यर्थी के पास पायी जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है और उसके विरुद्ध कानूनी/आपराधिक कार्रवाई आरम्भ की जा सकती है।
12. परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र पर तलाशी की प्रक्रिया से गुजरना होगा।
13. परीक्षार्थी अपनी उपस्थिति फोटो कैप्चर के माध्यम से दर्ज करेंगे अन्यथा उन्हें अनुपस्थित माना जाएगा।

14. परीक्षार्थियों को किसी भी परिस्थिति में वीक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई परीक्षार्थी वीक्षक/पर्यवेक्षक की अनुमति प्राप्त किए बिना बाहर जाते हैं तो उन्हें पुनः प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उन्हें परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा।
15. यदि किसी तकनीकी खराबी या किसी अन्य कारणवश परीक्षा विलम्ब से शुरू होती है या बीच में बाधित हो जाती है तो अभ्यर्थियों को परीक्षा पदाधिकारी द्वारा दिए जाने वाले अनुदेशों का अनुसरण करना अनिवार्य होगा। उन्हें समस्या का उपयुक्त समाधान होने तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है।
16. किसी जानकारी हेतु ई-मेल आई.डी. bvphelpdesk@gmail.com पर परीक्षा की तिथि से एक दिन पूर्व तक संपर्क कर सकते हैं।
17. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केन्द्र बदलने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर आने-जाने हेतु कोई भत्ता देय नहीं होगा।
18. प्रवेश-पत्र पूर्णतः औपबन्धिक है। प्रवेश-पत्र निर्गत होने से आवेदक की अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाईन आवेदन में की गई प्रविष्टि एवं दी गई सूचना तथा उससे संबंधित कागजात में किसी प्रकार की भिन्नता रहने पर अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
19. जो आवेदक साक्षात्कार के लिए उपस्थित नहीं होंगे अथवा वांछित कागजात प्रस्तुत नहीं करेंगे उन्हें अलग से समय नहीं दिया जाएगा तथा उनकी उम्मीदवारी समाप्त करने पर परिषद् सचिवालय निर्णय ले सकता है।

कोई भी सरकारी अथवा गैर सरकारी बाह्य व्यक्ति बिहार विधान परिषद् सचिवालय में नौकरी दिलाने के नाम पर आपसे सम्पर्क स्थापित कर ठगी करने का प्रयास करते हैं तो ऐसे तत्वों के संबंध में अविलंब दूरभाष संख्या- 06122215667 तथा ई-मेल: blc-bih@nic.in पर सूचित करें। ऐसे तत्वों से संलिप्तता पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ह./-

(विनोद कुमार)

कार्यकारी सचिव

बिहार विधान परिषद्